संख्या-14/2018/1060/60-3-2018-8(सा)/18

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांक : लखनऊ : 27 जून, 2018

विषय-वृन्दावन में निर्मित 1000 बेड के विधवा आश्रय सदन के संचालन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ब्रजधाम क्षेत्र में निवासरत विधवाओं के जीवन-यापन में सुधार हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुनरख बांगर, वृन्दावन में एन0बी0सी0सी0 कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित 1000 बेड के विधवा आश्रय सदन के संचालन की अपेक्षा उ0प्र0 सरकार से की गयी है।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-659/2007, रिट याचिका संख्या 168/2012 तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या-133/2012 में वृन्दावन/ब्रजधाम क्षेत्र में स्थित निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं की अद्यतन स्थिति एवं उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं में आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि ब्रजधाम क्षेत्र में आवासित निराश्रित विधवा महिलाओं की देख-भाल एवं उनके जीवन निर्वाह को मानवीय स्तर तक करने के लिए प्रयास किया जाय।

3- उक्त के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणुका कुमार को (नाम से) उक्त रिट याचिका में आदेश दिनांक 20-02-2015 द्वारा नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि निराश्रित महिलाओं की दशा में सुधार हेतु एक कार्य योजना तैयार की जाय, जिसमें कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हुए वित्तीय उपाशय तथा आवश्यक प्रशासनिक सपोर्ट का समावेश हो। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव द्वारा बृजधाम क्षेत्र में संचालित संस्थाओं, अनाथालयों, धार्मिक संस्थाओं, शरणालयों एवं मंदिरों में निवास कर रहीं निराश्रित महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण एवं जिला प्रशासन के सहयोग से सर्वेक्षण कराकर ब्रजधाम क्षेत्र में 2515 निराश्रित महिलाओं को चिन्हित किया गया है।

4- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुनरख बांगर वृन्दावन में निर्माण कराये गये उक्त आश्रय सदन के बारे में सूचना मा0 उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिनांक 06-12-2017 को प्रस्तुत की गयी है और यह अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार उक्त आश्रय सदन संचालन हेतु विद्युत बिल, कुकिंग गैस तथा सीवरेज पर होने वाले व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5- उक्त आश्रय सदन का भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यह 05 एकड़ में फैला हुआ भवन है, उक्त आश्रय सदन की भूमि एवं निर्माण में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत व्यय किया गया है एवं संचालन हेतु धनराशि भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य सरकार से इस सदन के संचालन हेतु विद्युत बिल, कुकिंग गैस तथा सीवरेज पर होने वाले व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है।

6- इस सदन के संचालन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 29-05-2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से उप सचिव, श्री एस0आर0 मीणा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के सचिव, श्री जय प्रकाश सगर द्वारा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है।

7- भारत सरकार द्वारा इस 1000 बेड वाले आश्रय सदन की व्यवस्थाओं हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये है-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवर्तक मद-

क्र0 सं0	मद	यूनिट कास्ट	यूनिट की सं0	कुल धनराशि
1	भोजन	3200	1000x12	38400000
2	दवाई	300	1000x12	3600000
3	कपडे	3500	1000	3500000
4	पाकेट मनी	500	1000x12	6000000
5	पिलग्रिमेज टूर	4000	100	400000
6	बेड (लिनेन/कवरर्स/रजाईयॉ/ कम्बल)	1000	1000	1000000
7	अन्य (टेलीफोन, इण्टरनेट, स्टेशनरी, आडिट/लीगल एक्सपेंसेस, पूजा की सामग्री, लघु मरम्मत आदि)	1000	1000	1000000
8	प्रशासनिक व्यय	@15% of above expenses (1to7)	-	8085000
	योग			**61985000**

- स्टाफ का मानदेय संवासियों की संख्या के आधार पर देय होगा।
- मानदेय एवं अवार्तक मदों में वार्षिक 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ धनराशि आवंटित की जायेगी।

अनावर्तक मद-

1	किचन सामग्री एवं गैस चूल्हा	500	1000	500000
2	डायनिंग सामग्री	300	1000	300000
3	फर्नीचर सामग्री	-	-	200000
4	चिकित्सक एवं फीजियोथेरेपी कक्ष एवं उपकरण आदि	-	-	100000
5	आटोमेटिक स्वीपिंग मशीन	100000	6	600000
	योग			1700000

- स्टाफ का मानदेय रू0 1,18,32,000/- प्रतिवर्ष देय होगा।
- आवर्तक मदों हेतु रू0 6,19,85,000/- प्रतिवर्ष देय होगा।
- अनावर्तक मदों हेतु रू0 17,00,000/- 05 वर्ष में एक बार देय होगा।
- कुल बजट रू0 (कखग) रू0 7,38,17,000/-

8- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आश्रय सदन का संचालन उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0 द्वारा किया जायेगा तथा उक्त आश्रय सदन के संचालन में विद्युत देय, कुकिंग गैस, जलकर एवं सीवेज कर हेतु आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उक्त आश्रय सदन संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें तत्काल कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1060 (1)/60-3-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
7- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, आगरा।
8- जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।